भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2291
01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायनों का अत्यधिक उपयोग

2291. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण किसानों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और शुद्ध लाभ कम हो जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा सिंथेटिक उर्वरक के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं क्योंकि इसका केवल 30 से 50 प्रतिशत ही पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, शेष नाइट्रोजन विनाइट्रीफाइड हो जाता है और नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में रिस जाता है और फिर यह भूजल में चला जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : रसायनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) की कार्यनीति को बढ़ावा देती है, जिसमें पारंपरिक और जैविक तरीकों के माध्यम से कीट प्रबंधन की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किसानों को रसायनों के विकल्प, जैसे जैव-कीटनाशक, बायो-स्टीम्युलेंट्स, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खेती, मिश्रित खेती जैसी वैकल्पिक कृषि पद्धतियों के बारे में भी जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2024-25 में, देश भर में कुल 720 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 21,271 किसान लाभान्वित हुए।

इसके अलावा, उचित मूल्य पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पंजीकरण समिति (आरसी) के माध्यम से जेनेरिक कीटनाशकों के लिए शीघ्रता से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है। किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होने से बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है, जिससे कीमतों में स्थिरता आती है। इसके अलावा, जेनेरिक कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क न्यूनतम रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जैव-कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए आर.सी. द्वारा सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, साथ ही दो वर्ष की अनंतिम पंजीकरण अवधि के दौरान व्यावसायीकरण की अनुमति भी दी गई है।

(घ) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रही है। आईसीएआर ने कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न फसलों और मिट्टी के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों के उन्नत और कुशल उपभेदों का विकास किया है। इसके अलावा, फसल विकास अवधि के दौरान उर्वरकों के विभाजित अनुप्रयोग, उर्वरकों के उचित अवस्थापन (प्लेसमेंट), स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन उर्वरकों और नाइट्रीकरण इनहिबिटर्स के उपयोग, दलहनी फसलें उगाने जैसी प्रथाओं की भी आईसीएआर द्वारा हिमायत की जाती है। आईसीएआर किसानों को इन सभी पहलुओं पर शिक्षित बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन तथा जागरूकता कार्यक्रमों आदि का आयोजन भी करता है।

****